

## हिन्दी प्रादेशिक समाचार

### आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 16 अप्रैल 2026, समय 13:05 (5 मिनट))

संसद के विशेष सत्र में आज पहले दिन महिला आरक्षण कानून से जुड़े तीन संशोधन विधेयक पेश किए गए। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने संविधान (131 वाँ संशोधन ) विधेयक और परिसीमन विधेयक 2026 पेश किया जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश कानून ( संशोधन) विधेयक 2026 पेश किया।

इसका उद्देश्य 2023 के कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को 2029 तक शीघ्र लागू करना है। इस विधेयक के माध्यम से लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 850 तक करने और परिसीमन प्रक्रिया को तेज करने का प्रस्ताव है।

प्रस्ताव के अनुसार, राज्यों में अधिकतम 815 सीटें और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 सीटें निर्धारित की जा सकती हैं। सीटों के अंतिम निर्धारण के लिए परिसीमन प्रक्रिया भी लागू की जाएगी। नए प्रावधानों के तहत लोकसभा की 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इन विधेयकों पर संसद में 18 अप्रैल तक विस्तृत चर्चा होने की संभावना है, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।

\*\*\*\*\*

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने संशोधन विधेयकों का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि ये विधेयक देश के संघीय ढांचे को कमजोर करेंगे।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री वेणुगोपाल विधेयकों के प्रस्तुतीकरण पर तकनीकी आपत्तियां उठा सकते हैं, उनके गुण-दोष पर नहीं बोल सकते।

समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने जल्दबाजी में विधेयक लाने की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले जनगणना होनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस की काकोली घोष दस्तीदार ने विधेयकों के प्रस्तुतीकरण का विरोध करते हुए कहा कि महिला आरक्षण को भविष्य के परिसीमन अभ्यास पर निर्भर बनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय पहले ही ले लिया है।

\*\*\*\*\*

हरियाणा में आज से स्व जनगणना शुरू हो गई है। यह 30 अप्रैल तक चलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों से जनगणना में सहयोग की अपील की है ताकि सही आंकड़े सामने आ सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय देश में स्वतंत्रता के बाद आठवीं और हरियाणा के गठन के बाद यह छठी जनगणना हो रही है। उन्होंने कहा कि स्व गणना डिजिटल भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नागरिकों को स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कराने का अधिकार और सुविधा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना हर तरह के विकास का मजबूत आधार है।

\*\*\*\*\*

पलवल के उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा है कि जिला पलवल में जनगणना 2027 के तहत स्व-गणना प्रक्रिया आज 16 अप्रैल से शुरू होकर बृहस्पतिवार 30 अप्रैल 2026 तक चलेगी।

इस दौरान राज्य के नागरिक आधिकारिक पोर्टल [se.census.gov.in](http://se.census.gov.in) के माध्यम से अपनी जनगणना से जुड़ी जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार स्व-गणना के बाद शुक्रवार पहली मई से शनिवार 30 मई 2026 तक मकान सूचीकरण एवं गणना का कार्य किया जाएगा।

उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि स्व-गणना के लिए हर परिवार को एक यूनिक एसई आईडी दी जाएगी, जिसे बाद में गणनाकर्मी द्वारा सत्यापन के समय उपयोग किया जाएगा।

\*\*\*\*\*

नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत फरीदाबाद में भव्य स्कूटी यात्रा निकाली गई। नगर निगम महापौर प्रवीण बत्रा जोशी ने यात्रा को नेहरू कॉलेज से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त अंजलि श्रोत्रिया भी उपस्थित रहीं।

सुश्री प्रवीण बत्रा जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' देश की आधी आबादी को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी और वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी।

\*\*\*\*\*

कैथल की उपायुक्त अपराजिता ने कहा है कि जिला में 106 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के अंतर्गत सम्मानित किया जाएगा।

\*\*\*\*\*